न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 02/2019 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. साजन सिंह उर्फ साजू पुत्र स्व0 श्री ढहरासिंह उर्फ ढेरासिंह,
2. दिलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह जाति लबाना सिख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. सत्तूसिंह पुत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह जाति लबाना सिख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0

2. कुन्दन सिंह पुत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह,
3. होशियार सिंह पुत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह,
4. पदमाकौर पत्नि स्व0 बाबूसिंह पुत्र वधू स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरा सिंह।
5. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 बाबूसिंह पौत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरा सिंह।
6. अनिल सिंह उर्फ सुरजीत सिंह पुत्र स्व0 बाबू सिंह पौत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरा सिंह।
7. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बाबूसिंह पौत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह,
8. संजीव सिंह उर्फ संजीप सिंह पुत्र स्व0 बाबूसिंह पौत्र स्व0 श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह जाति लबाना सिख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0।
9. अंजू गोयल पत्नि श्री महेश चन्द गोयल जाति महाजन, निवासी ग्राम केरवावाल, तहसील व जिला अलवर राज0।
10. मोनिका सिंघल पुत्री श्री सुभाष गोयल निवासी ग्राम बडेर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
11. नीलम पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति महाजन, निवासी ग्राम खूटेटाकलां तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
12. उमा गोयल पत्नि हुकमचंद गोयल, जाति महाजन निवासी ग्राम केरवावाल, तहसील व जिला अलवर राज0।
13. रूकमणी देवी पत्नि श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति महाजन, निवासी ग्राम खूटेटाकलां तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

14. सावत्री पत्नि श्री राधाकृष्ण अग्रवाल जाति महाजन, निवासी 178 स्कीम नंबर 3 बसन्त बिहार अलवर राज0।
15. सविता जैन पत्नि श्री हरिश चन्द जैन, निवासी 5/176 काला कुआं हाउसिंग बोर्ड अलवर राज0।
16. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय, अलवर राज0।
17. यज्ञदत्त पुत्र श्री परमानन्द खत्री निवासी ग्राम लिवारी तहसील अलवर जिला अलवर राज0।
18. लाभ सिंह पुत्र अमरसिंह जाति सिक्ख
19. भगवान सिंह पुत्र अमरसिंह जाति सिक्ख।
20. रानिकौर पत्नि स्व0 अजित सिंह पुत्र वधू अमरसिंह जाति सिख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील अलवर जिला अलवर राज0।
21. ईसर सिंह पुत्र स्व0 बस्सर सिंह जाति सिक्ख।
22. हर्रूसिंह पुत्र बस्सर सिंह जाति सिक्ख
23. पप्पूसिंह पुत्र स्व0 बस्सर सिंह जाति सिक्ख।
24. मक्खन सिंह पुत्र स्व0 बस्सर सिंह जाति सिक्ख, निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–12.12.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 25.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 191 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 685 रकबा 0.45 है0, 687 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 1.08 है0, खाता संख्या 249 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 436 रकबा 0.03 है0, 446 रकबा 0.22 है0, 447 रकबा 0.23 है0, 448 रकबा 0.06 है0, 449 रकबा 011 है0, 450/874 रकबा 0.25 है0, 452 रकबा 0.20 है0, 453 रकबा 0.22 है0, 454 रकबा 0.08 है0, 456 रकबा 0.20 है0, 463 रकबा 0.33 है0, 683 रकबा 0.76 है0, 684 रकबा 0.27 है0 एवं 761 रकबा 0.72 है0, कुल किता 14 रकबा 3.68 है0 खाता संख्या 29 खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0, खाता संख्या 125 खसरा नंबर 530 रकबा 0.10 है0, खाता संख्या 03 खसरा नंबर 529 रकबा 0.30 है0, खाता संख्या 259 खसरा नंबर 535 रकबा 0.44 है0, खाता संख्या 251 खसरा नंबर 450/861 रकबा 0.03 है0, 451 रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 260 खसरा नंबर 298 रकबा 0.23 है0, 462 रकबा 0.25 है0, वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

अलवर में स्थित है जो कि विवादित आराजी है। खाता संख्या 91 के हाल खसरा नंबर 685 व 387 किता 02 रकबा 1.08 है0 में से 01 बीघा 10 बिस्वा में से सत्तूसिंह वादी व असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का 1/6 हिस्सा व शेष 02 बीघा 16 बिस्वा हिस्से का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 18 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 249 के हाल खसरा नंबर 436, 447, 448, 449, 450/874, 452, 453, 454, 456, 463, 683, 684 व 761 कुल किता 14 रकबा 3.68 है0 में वादी का 1/6 हिस्सा व साजन, कुन्दन, दिलीपसिंह 1/2 हिस्सा होशियार 1/6 हिस्सा व पदमाकौर, सुरजीत, रविन्द्रसिंह, संजीपसिंह, रणजीतसिंह 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 259 में हाल खसरा नंबर 535 रकबा 0.44 है0 में से 1 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 साजन एवं शेष 3 बिस्वा आराजी में लाभसिंह, भगवानसिंह, अजीतसिंह 1/2 व बस्सरसिंह पुत्र रामसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तरतीबी में से अजीतसिंह पुत्र बस्सरसिंह का स्वर्गवास हो गया है। बस्सरसिंह के वारिस पत्नि रानीकौर, ईसरसिंह, हर्रूसिंह, पप्पूसिंह, मक्खनसिंह हैं। किन्तु अजीतसिंह व बस्सरसिंह के वारिसान के नाम अभी विरासत नही खुली। इस चरण में वर्णित आराजी 0.44 है0 में 1 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 साजनसिंह उर्फ साजूसिंह के नाम प्रार्थी के पिता की खरीदशुदा है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 260 में आराजी खसरा नंबर 298 रकबा 0.23 है0 व 462 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 रकबा 0.48 है0 साजन सिंह उर्फ साजूसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी खसरा नंबर ढहरासिंह ने अपनी आय से खरीद की थी किन्तु पुत्र होने के नाते बयनामा साजनसिंह के नाम करा दिया गया था। आराजी खसरा नंबर 462 रकबा 0.25 है0 का साबिक खसरा नंबर 580 रकबा 01 बीघा था, जो आराजी रामकंवार उर्फ रामसहाय पुत्र श्योबक्स अहीर निवासी ग्राम लिवारी से जरिये बयनामा दिनांक 21.08.1976 के खरीदी थी। जिसका अमल कागजातमाल में बय इंतकाल संख्या 230 दिनांक 15.02.1977 के द्वारा हुआ था। उक्त बयनामा से स्पष्ट है कि उक्त आराजी लगभग 40 वर्ष पूर्व खरीद की गई थी। उस समय साजनसिंह की उम्र 10 वर्ष थी। वह नाबालिग था तथा उसकी कोई निजी आय नही थी। बयनामा में साजन सिंह की उम्र 20 वर्ष गलत दर्ज कर बालिग दर्ज कर बयनामा करा लिया गया। साजन सिंह उस समय नाबालिग ही था कोई धंधा नही करता था। और ना ही उसके पास आय का कोई साधन था। इससे स्पष्ट है कि यह आराजी ढहरासिंह ने अपनी आय से खरीद की थी। इसलिये इस आराजी में वादी प्रार्थी का 1/6 हिस्सा असल अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 09 का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 मौके पर मुश्तर्का में ढहरासिंह के जीवनकाल से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। खाता संख्या 03 का हाल खसरा नंबर 529 रकबा 0.30 है0 को भी पिता ढहरासिंह ने साजनसिंह के नाम खरीद किया था। जिसमें भी वादी का 1/6 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा और 5 लगायत 9 का भी 1/6 हिस्सा है।जिस पर भी वादी एवं प्रतिवादी ढहरासिंह के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 साजनसिंह ने उक्त आराजी का बयनामा बिला अधिकार गैर कानूनी तरीके पर बिना कब्जा दिये नुमायशी आधार से अप्रार्थी संख्या 15 सावित्री देवी के हक में दिनांक 31.10.2006 को करवा दिया। जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

इंतकाल संख्या 129 दर्ज होकर कागजात माल में दिनांक 01.05.2007 को अमल दरामद हो गया। इसके बाद प्रतिवादिनी संख्या 11मोनिका उक्त खरीदशुदा हाल आराजी खसरा नंबर 529 रकबा 0.30 है0 में से 1/2 हिस्से का बयनामा प्रतिवादिनी संख्या 12 नीलम पत्नि ओमप्रकाश के हक में दिनांक 22.05.2012 को करवा दिया।जिसका इंतकाल संख्या 363 दिनांक 05.06.2012 दर्ज हो गया। जिसका अमल कागजात माल में किया गया। चूंकि उक्त सावित्री देवी अंजू मोनिका नीलम के हक में हुये इंतकाल एवं कागजात माल में हुये इन्द्राजात खिलाफ कानून मौका होने के कारण प्रार्थी के हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी है।इसी प्रकार खाता संख्या 251 में वर्णित हाल आराजी खसरा नंबर 450/861 व 451 कुल किता 02 रकबा 0.125 है0 वादी सत्तूसिंह व प्रतिवादी साजनसिंह, कुन्दनसिंह, दलिपसिंह, पिसरान ढहरासिंह पदमाकौर, रणजीतसिंह, सुरजीतसिंह, रविन्द्रसिंह, संजीपसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस तरह आराजी में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज होकर खातेदारी में है। इसी प्रकार खाता संख्या 125 के हाल खसरा नंबर 530 रकबा 0.10 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 606 रकबा 03 बिस्वा, 607 रकबा 01 बिस्वा व 606/732 रकबा 02 बिस्वा व 607/733 रकबा 02 बिस्वा थे। वर्तमान में प्रार्थी के भाई बाबूसिंह के वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यह आराजी ढहरासिंह ने अपने पुत्र बाबूसिंह के नाम कल्लूसिंह पुत्र बूलासिंह सिक्ख लिवारी से खरीद की थी।पुत्र मोह में दिनांक 03.01.79 को बयनामा बाबूसिंह के नाम करा दिया था। जिसका इंतकाल संख्या 302 दिनांक 21.08.1979 को मंजूर होकर कागजात माल में अमल दरामद किया गया। जिस समय उक्त खसरा नंबरान बाबूसिंह के नाम खरीद किये थे बाबूसिंह उस समय नाबालिग था। जिसकी कोई स्वतंत्र आय नही थी। इस प्रकार से यह आराजी भी प्रार्थी की पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी मुश्तर्का में काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादी 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं खाता संख्या 29 जिसके हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 608 रकबा 12 बिस्वा है व 608/734 रकबा 12 बिस्वा वर्तमान में प्रतिवादिनी उमा गोयल पत्नि हुकमचंद गोयल 1/2 हिस्सा व रूकमणी देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद 1/2 हिस्सा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता ढहरा सिंह ने उक्त खसरा नंबरान पुत्र मोह में बाबूसिंह के नाम दिनांक 03.01.1979 को खरीद की थी। जिसका इंतकाल संख्या 302 हुआ एवं कागजात माल में बाबूसिंह के नाम का अंकन किया गया। उस समय बाबूसिंह नाबालिग था। उसकी कोई स्वतंत्र आय नही थी। इस तरह से यह आराजी भी पैतृक आराजी है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है। मुश्तर्का में वादी एवं प्रतिवादी काश्त कर रहे हैं।बाबूसिंह के स्वर्गवास के बाद पदमाकौर ने विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली। हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 का बयनामा गैरकानूनी रूप से पदमाकौर ने बहैसियत सरपरस्त रविन्द्रसिंह व संजीपसिंह एवं रणजीतसिंह सुरजीतसिंह ने प्रतिवादी संख्या 15 सावित्री देवी के नाम दिनांक 08.09.2006 को बयनामा करा दिया। जिसका इंतकाल संख्या 208 खोला गया। जिस समय उक्त खसरा नंबर का बेचान किया गया, उस समय रविन्द्रसिंह व संदीप को नाबालिग बताकर अपनी सरपरस्ती में किया है। रविन्द्र व संदीप राजस्व रिकार्ड में नाबालिग दर्ज नही है इसलिये बालिग हैं।इस कारण बयनामा विधि विरूद्ध है। तहसीलदार भू अभिलेख अलवर ने भी रविन्द्र एवं संदीप को बालिग माना है। प्रतिवादी संख्या 15 सावित्री देवी ने उक्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

का बयनामा प्रतिवादीनी रूकमणी देवी को हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 में से 1/2 हिस्सा का बयनामा दिनांक 11.12.2008 को करवा दिया।जिसका इंतकाल संख्या 267 ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर किया गया है।इस प्रकार प्रतिवादिनी संख्या 14 सावित्री देवी ने शेष 1/2 भाग को प्रतिवादिनी संख्या 16 सविता जैन पत्नि हरिश चन्द जैन को बेचान कर दिया। जिसके इंतकाल संख्या 266 ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर किया गया । प्रतिवादिनी संख्या 16 सविता जैन ने भी उक्त बयनामा के आधार पर खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 के 1/2 हिस्से का बयनामा प्रतिवादिनी संख्या 13 उमा गोयल के हक में करवा दिया। जिसका इंतकाल संख्या 364 ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मंजूर किया गया। जो खरीददार उमा गोयल के नाम कागजात माल में अमल दरामद किया गया। प्रतिवादिनी सावित्री, रूकमणी, सविता जैन, उमा गोयल का कभी कब्जा नही रहा ना आज मौके पर कब्जा है।इसलिये उक्त सभी बयनामा एवं इंतकाल एवं कागजात माल में हुये इन्द्राज ताहाल प्रार्थी के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है। सहकाश्तकारों तरतीबी अप्रार्थीगण से प्रार्थी का कोई विवाद नही है। चूंकि वादग्रस्त आराजी का कोई तकासमा नही हुआ है इस कारण वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 16 के नाम हुये बयनामे व इनके इंतकाल व कागजात माल में हुये इन्द्राजात ताहाल को अपने हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी व शून्य करार दिलाने का व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 16 के नाम कागजात माल से कलमजन कराने का व दुरूस्ती कराने के कानूनन अधिकारी हैं।

अधीनस्थ अदालत द्वारा वादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया। जिस आदेश दिनांक 10.10.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णय दिनांक 25.01.2019 के द्वारा एब्सोलूट किया जाकर कन्फर्म किया गया। जिस निर्णय दिनांक 25.01.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस में दावे और अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 के पति व पिता स्व0 बाबूसिंह ने आराजी साबिक खसरा नंबर 608रकबा 11 बिस्वा, 608/734 रकबा 12 बिस्वा, 606 रकबा 03 बिस्वा, 607 रकबा 1 बिस्वा, 606/732 रकबा 2 बिस्वा जिनके आराजी हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0, 530 रकबा 0.10 है0, वाके ग्राम लिवारी का क्रय स्वयं की स्वअर्जित आय से क्रय की थी। जो उक्त दोनों आराजी हाल खसरा नंबर 519 व 530 रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 के पति व पिता स्वर्गीय बाबूसिंह की स्वयं की पैदाकर्ता आराजी थी। जिस आराजी 519 रकबा 0.29 है0 में से 1/2 भाग का बयनामा रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 ने दिनांक 11.02.08 को रूकमणी देवी धर्मपत्नि राजेन्द्र प्रसाद को व 1/2 भाग का बयनामा सविता जैन को दिनांक 11.12.08 को करा दिया गया। जिसका अपीलांटस व असल रेस्पो संख्या 1 सत्तूसिंह या अन्य किसी से किसी भी प्रकार को कोई संबंध व सरोकार नही हैं। असल रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त आराजी को गलत प्रकार से मुश्तर्का में पैतृक आराजी दर्ज किया है। जो कि उक्त आराजी स्व0 बाबूसिंह की स्व अर्जित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

आय से खरीदशुदा आराजी है। जिस आराजी का ढहरासिंह पुत्र खडकसिंह से कोई संबंध नही है। अपीलांट संख्या 1 साजनसिंह ने आराजी साबिक खसरा नंबर 444 रकबा 18 बिस्वा, 580 रकबा 1 बीघा, 609 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, 611 रकबा 18 बिस्वा, 612 रकबा 14 बिस्वा, 612/735 रकबा 3 बिस्वा जिनके आराजी हाल खसरा नंबर 298 रकबा 0.23 है0, 462 रकबा 0.25 है0, 529 रकबा 0.30 है0, 535 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम लिवारी का कय स्वयं की आय से खरीद किया था। आराजी खसरा नंबर 535 में से 1 बीघा 12 बिस्वा अपीलांट संख्या 1 साजनसिंह की स्वयं की पैदकर्दा आराजी है तथा बाकी 03 बिस्वा आराजी लाभसिंह, भगवानसिंह, अजीतसिंह 1/2 हिस्सा तथा बस्सर रामसिंह 1/2 हिस्सा है। आराजी हाल खसरा नंबर 529 रकबा 0.30 है0 को अपीलांट साजनसिंह ने सावत्री देवी को दिनांक 31.10.2006 को विक्रय कर दिया तथा वक्त बयनामा मौके पर कब्जा संभला दिया गया था जो कि अपीलांट संख्या 1 की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है। जिसका संबंध असल रेस्पो0 संख्या 1 सत्तूसिंह या अन्य किसी का भी किसी प्रकार का कोई संबध व सरोकार नही है। असल रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त आराजी को गलत प्रकार से मुश्तर्का में पैतृक आराजी दर्ज किया है। जिस आराजी का ढहरासिंह पुत्र खडकसिंह से कोई संबंध नही है। आराजी हाल खसरा नंबर 685 रकबा 0.45 है0, 687 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम लिवारी में से 1 बीघा 10 बिस्वा में अपीलांट संख्या 1 साजनसिंह का 1/6 हिस्सा, अपीलांट संख्या 2 दिलीपसिंह का 1/6 हिस्सा, असल रेस्पो0 संख्या 1 सत्तूसिंह का 1/6 हिस्सा, रेस्पो संख्या 2 कुन्दन सिंह का 1/6 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 होशियार सिंह का 1/6 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 पदमाकौर, रणजीतसिंह, अनिलसिंह, रविन्द्रसिंह, संजीवसिंह, वारिसान बाबूसिंह का 1/6 हिस्सा, शेष 2 बीघा 16 बिस्वा यज्ञदत्त बगैरा का है। जो आराजी ढहरासिंह पुत्र खडकसिंह की विरासत से अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 को प्राप्त हुई है। आराजी हाल खसरा नंबर 436, 446, 447, 448, 449, 450/874, 452, 453, 454, 456, 446, 683, 684, 761 कुल किता 14 रकबा 3.68 है0 वाके ग्राम लिवारी में अपीलांट संख्या 1 साजनसिंह का 1/6 हिस्सा, अपीलांट संख्या 2 दिलीप सिंह का 1/6 हिस्सा, असल रेस्पो0 संख्या 1 सत्तूसिंह का 1/6 हिस्सा, रेस्पो संख्या 2 कुन्दन सिंह का 1/6 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 3 होशियार सिंह का 1/6 हिस्सा, रेस्पो संख्या 4 लगायत 8 पदमाकौर, रणजीतसिंह, अनिलसिंह, रविन्द्रसिंह, संजीवसिंह, वारिसान बाबूसिंह का 1/6 हिस्सा है जो कि ढहरासिंह के वारिसान की पैतृक आराजी है। जो अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 को ढहरासिंह पुत्र खडकसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस जारी रखते हुये आगे कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 साजनसिंह व रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 के पति व पिता स्व0 बाबूसिंह की उम्र का आंकलन अधीनस्थ अदालत द्वारा गलत प्रकार से किया है। असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उम्र के बारे में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह साबित होता हो कि ये नाबालिग थे। जबकि अपीलांट संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 के पति व पिता स्व0 बाबूसिंह वक्त खरीद बालिग थे जो बखूबी साबित है। जिन्होंने उक्त आराजीयात अपनी स्वयं की स्व अर्जित आय से खरीद की थी। तहत अदालत ने अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को उक्त आराजी को रहन, बय नही करने का एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 10.10.2014 को एकतरफा में जारी किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

आदेश को गलत प्रकार से निर्णय दिनांक 25.01.2019 को ताफैसला वाद किया जाकर कन्फर्म किया है। जो कि तहत अदालत ने मौके की रूह व दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुये पारित किया गया है। अतः तहत अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का आदेश दिनांक 25.01.2019 अपास्त फरमाये जाने एवं अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कहा कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो कि विवादित आराजी है। खाता संख्या 91 के हाल खसरा नंबर 685 व 387 किता 02 रकबा 1.08 है0 में से 01 बीघा 10 बिस्वा में से सत्तूसिंह वादी व असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का 1/6 हिस्सा व शेष 02 बीघा 16 बिस्वा हिस्से का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 18 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 249 के हाल खसरा नंबर 436, 447, 448, 449, 450/874, 452, 453, 454, 456, 463, 683, 684 व 761 कुल किता 14 रकबा 3.68 है0 में वादी का 1/6 हिस्सा व साजन, कुन्दन, दिलीपसिंह 1/2 हिस्सा होशियार 1/6 हिस्सा व पदमाकौर, सुरजीत, रविन्द्रसिंह, संजीपसिंह, रणजीतसिंह 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 259 में हाल खसरा नंबर 535 रकबा 0.44 है0 में से 1 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 साजन एवं शेष 3 बिस्वा आराजी में लाभसिंह, भगवानसिंह, अजीतसिंह 1/2 व बस्सरसिंह पुत्र रामसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तरतीबी में से अजीतसिंह पुत्र बस्सरसिंह का स्वर्गवास हो गया है। बस्सरसिंह के वारिस पत्नि रानीकौर, ईसरसिंह, हर्रूसिंह, पप्पूसिंह, मक्खनसिंह हैं। किन्तु अजीतसिंह व बस्सरसिंह के वारिसान के नाम अभी विरासत नही खुली। इस चरण में वर्णित आराजी 0.44 है0 में 1 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 साजनसिंह उर्फ साजूसिंह के नाम प्रार्थी के पिता की खरीदशुदा है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 260 में आराजी खसरा नंबर 298 रकबा 0.23 है0 व 462 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 रकबा 0.48 है0 साजन सिंह उर्फ साजूसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी खसरा नंबर ढहरासिंह ने अपनी आय से खरीद की थी किन्तु पुत्र होने के नाते बयनामा साजनसिंह के नाम करा दिया गया था। आराजी खसरा नंबर 462 रकबा 0.25 है0 का साबिक खसरा नंबर 580 रकबा 01 बीघा था, जो आराजी रामकंवार उर्फ रामसहाय पुत्र श्योबक्स अहीर निवासी ग्राम लिवारी से जरिये बयनामा दिनांक 21.08.1976 के खरीदी थी। जिसका अमल कागजातमाल में बय इंतकाल संख्या 230 दिनांक 15.02.1977 के द्वारा हुआ था। उक्त बयनामा से स्पष्ट है कि उक्त आराजी लगभग 40 वर्ष पूर्व खरीद की गई थी। उस समय साजनसिंह की उम्र 10 वर्ष थी। वह नाबालिग था तथा उसकी कोई निजी आय नही थी। बयनामा में साजन सिंह की उम्र 20 वर्ष गलत दर्ज कर बालिग दर्ज कर बयनामा करा लिया गया। साजन सिंह उस समय नाबालिग ही था कोई धंधा नही करता था। और ना ही उसके पास आय का कोई साधन था। इससे स्पष्ट है कि यह आराजी ढहरासिंह ने अपनी आय से खरीद की थी। इसलिये इस आराजी में वादी प्रार्थी का 1/6 हिस्सा असल अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 09 का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 मौके पर मुश्तर्का में ढहरासिंह के जीवनकाल से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। खाता संख्या 03 का हाल खसरा नंबर 529 रकबा 0.30 है0 को भी पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

ढहरासिंह ने साजनसिंह के नाम खरीद किया था। जिसमें भी वादी का 1/6 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा और 5 लगायत 9 का भी 1/6 हिस्सा है।जिस पर भी वादी एवं प्रतिवादी ढहरासिंह के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 साजनसिंह ने उक्त आराजी का बयनामा बिला अधिकार गैर कानूनी तरीके पर बिना कब्जा दिये नुमायशी आधार से अप्रार्थी संख्या 15 सावित्री देवी के हक में दिनांक 31.10.2006 को करवा दिया। जिसका इंतकाल संख्या 129 दर्ज होकर कागजात माल में दिनांक 01.05.2007 को अमल दरामद हो गया। इसके बाद प्रतिवादिनी संख्या 11मोनिका उक्त खरीदशुदा हाल आराजी खसरा नंबर 529 रकबा 0.30 है0 में से 1/2 हिस्से का बयनामा प्रतिवादिनी संख्या 12 नीलम पत्नि ओमप्रकाश के हक में दिनांक 22.05.2012 को करवा दिया।जिसका इंतकाल संख्या 363 दिनांक 05.06.2012 दर्ज हो गया। जिसका अमल कागजात माल में किया गया। चूंकि उक्त सावित्री देवी अंजू मोनिका नीलम के हक में हुये इंतकाल एवं कागजात माल में हुये इन्द्राजात खिलाफ कानून मौका होने के कारण प्रार्थी के हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी है।इसी प्रकार खाता संख्या 251 में वर्णित हाल आराजी खसरा नंबर 450/861 व 451 कुल किता 02 रकबा 0.125 है0 वादी सत्तूसिंह व प्रतिवादी साजनसिंह, कुन्दनसिंह, दलिपसिंह, पिसरान ढहरासिंह पदमाकौर, रणजीतसिंह, सुरजीतसिंह, रविन्द्रसिंह, संजीपसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस तरह आराजी में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज होकर खातेदारी में है। इसी प्रकार खाता संख्या 125 के हाल खसरा नंबर 530 रकबा 0.10 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 606 रकबा 03 बिस्वा, 607 रकबा 01 बिस्वा व 606/732 रकबा 02 बिस्वा व 607/733 रकबा 02 बिस्वा थे। वर्तमान में प्रार्थी के भाई बाबूसिंह के वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यह आराजी ढहरासिंह ने अपने पुत्र बाबूसिंह के नाम कल्लूसिंह पुत्र बूलासिंह सिक्ख लिवारी से खरीद की थी।पुत्र मोह में दिनांक 03.01.79 को बयनामा बाबूसिंह के नाम करा दिया था। जिसका इंतकाल संख्या 302 दिनांक 21.08.1979 को मंजूर होकर कागजात माल में अमल दरामद किया गया। जिस समय उक्त खसरा नंबरान बाबूसिंह के नाम खरीद किये थे बाबूसिंह उस समय नाबालिग था। जिसकी कोई स्वतंत्र आय नही थी। इस प्रकार से यह आराजी भी प्रार्थी की पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी मुश्तर्का में काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादी 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं खाता संख्या 29 जिसके हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 608 रकबा 12 बिस्वा है व 608/734 रकबा 12 बिस्वा वर्तमान में प्रतिवादिनी उमा गोयल पत्नि हुकमचंद गोयल 1/2 हिस्सा व रूकमणी देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद 1/2 हिस्सा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता ढहरा सिंह ने उक्त खसरा नंबरान पुत्र मोह में बाबूसिंह के नाम दिनांक 03.01.1979 को खरीद की थी। जिसका इंतकाल संख्या 302 हुआ एवं कागजात माल में बाबूसिंह के नाम का अंकन किया गया। उस समय बाबूसिंह नाबालिग था। उसकी कोई स्वतंत्र आय नही थी। इस तरह से यह आराजी भी पैतृक आराजी है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है। मुश्तर्का में वादी एवं प्रतिवादी काश्त कर रहे हैं।बाबूसिंह के स्वर्गवास के बाद पदमाकौर ने विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली। हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 का बयनामा गैरकानूनी रूप से पदमाकौर ने बहैसियत सरपरस्त रविन्द्रसिंह व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

संजीपसिंह एवं रणजीतसिंह सुरजीतसिंह ने प्रतिवादी संख्या 15 सावित्री देवी के नाम दिनांक 08.09.2006 को बयनामा करा दिया। जिसका इंतकाल संख्या 208 खोला गया। जिस समय उक्त खसरा नंबर का बेचान किया गया, उस समय रविन्द्रसिंह व संदीप को नाबालिग बताकर अपनी सरपरस्ती में किया है। रविन्द्र व संदीप राजस्व रिकार्ड में नाबालिग दर्ज नही है इसलिये बालिग हैं।इस कारण बयनामा विधि विरूद्ध है। तहसीलदार भू अभिलेख अलवर ने भी रविन्द्र एवं संदीप को बालिग माना है। प्रतिवादी संख्या 15 सावित्री देवी ने उक्त आराजी का बयनामा प्रतिवादीनी रूकमणी देवी को हाल खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 में से 1/2 हिस्सा का बयनामा दिनांक 11.12.2008 को करवा दिया।जिसका इंतकाल संख्या 267 ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर किया गया है।इस प्रकार प्रतिवादिनी संख्या सावित्री देवी ने शेष 1/2 भाग को प्रतिवादिनी संख्या 16 सविता जैन पत्नि हरिश चन्द जैन को बेचान कर दिया। जिसके इंतकाल संख्या 266 ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर किया गया । प्रतिवादिनी संख्या 16 सविता जैन ने भी उक्त बयनामा के आधार पर खसरा नंबर 519 रकबा 0.29 है0 के 1/2 हिस्से का बयनामा प्रतिवादिनी संख्या 13 उमा गोयल के हक में करवा दिया। जिसका इंतकाल संख्या 364 ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मंजूर किया गया। जो खरीददार उमा गोयल के नाम कागजात माल में अमल दरामद किया गया। प्रतिवादिनी सावित्री, रूकमणी, सविता जैन, उमा गोयल का कभी कब्जा नही रहा ना आज मौके पर कब्जा है।इसलिये उक्त सभी बयनामा एवं इंतकाल एवं कागजात माल में हुये इन्द्राज ताहाल प्रार्थी के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है। सहकाश्तकारों तरतीबी अप्रार्थीगण से प्रार्थी का कोई विवाद नही है। चूंकि वादग्रस्त आराजी का कोई तकासमा नही हुआ है इस कारण वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 16 के नाम हुये बयनामे व इनके इंतकाल व कागजात माल में हुये इन्द्राजात ताहाल को अपने हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी व शून्य करार दिलाने का व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 16 के नाम कागजात माल से कलमजन कराने का व दुरूस्ती कराने के कानूनन अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
डीएनजे 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 6, डीएनजे 2002 राज0हाईकोर्ट पेज 678, डीएनजे 2007 राज0 हाईकोर्ट पेज 940, आरआरडी 2001 पेज 324, आरआरडी 1992पेज 658 पैरा 9, आरबीजे 2003 पेज 176, आरआरटी 2016 द्वितीय पेज 723, आरआरटी 2014 द्वितीय पेज 1474.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित कानूनी नजीरें पेश की गई।
2017 डीएनजे सुप्रीमकोर्ट 290, 1998 आरआरडी 188, 2016(1)डीएनजे राज0 393, 2016(2)डीएनजे राज0 945, 1997 एआईआर राज0 176, 1995(2) आरएलडबल्यू 355, 1993 आरआरडी 206.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वाद के तथ्यों तथा अपील मीमों के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.01.2019 का अवलोकन करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्यों कि यदि विवाद परिवारिक सरपरस्तों के मध्य है तो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। हिन्दु मुश्तर्का खानदान की संपत्ति साक्ष्य से साबित होगी। यहां प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती हैं। बिना साक्ष्य साबित नही हो सके, वहां वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। इसके अतिरिक्त विवादास्पद मामले में विषयवस्तु को हानि/क्षति पहुंचाने की संभावना हो तो वहां यथास्थिति बनाये रखा जाना विधि के अनुकूल ही है।

1969 की रजिस्ट्री में साजन सिंह की उम्र 10 वर्ष अंकित है परन्तु 1976 की रजिस्ट्री में साजन सिंह की उम्र अंकित नही है। 1969 की रजिस्ट्री के अनुसार 1976 में साजन सिंह की आयु 17 वर्ष होती है।

पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि साजन सिंह की कोई स्वतंत्र आय का स्रोत था। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात ढहरासिंह की आय से खरीदा जाना है, की अवधारणा की जावेगी।यद्यपि यह तथ्य तो मूलवाद में साक्ष्य से साबित होगा।

पिता द्वारा अवयस्क पुत्रों के नाम यदि विवादित आराजीयात क्रय की गई है तो आराजीयात संयुक्त परिवार की होने की उपधारणा की जाती है एवं तदनुसार कब्जा भी संयुक्त परिवार ही माना जायेगा। चूंकि वाद में बहुलता न बढे इसलिये यह न्यायालय उचित समझता है कि इसके रहन, बय को रोका जावे।

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में पारित निर्णय विवेकपूर्ण व साम्यपूर्ण है और अपीलांट की अपील उपरोक्त विवेचन के आधार पर काबिज खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 25.01.2019 यथावत रखा जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)